CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

2000-2021
22 वर्ष
हल प्रश्न-पत्र

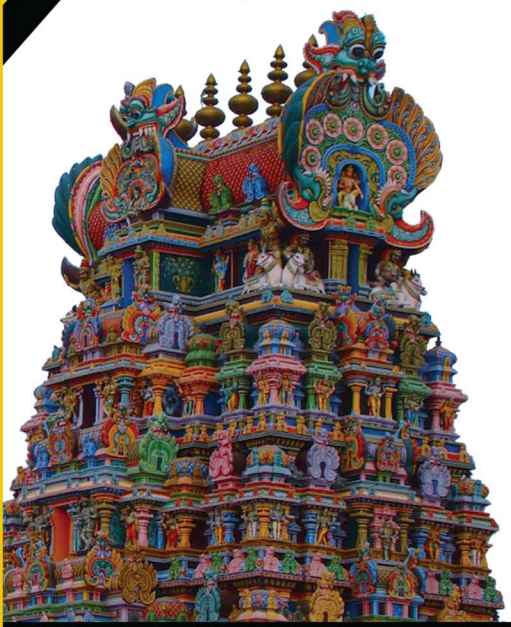

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्नोत्तर रूप में

सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित

संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

पुस्तक के संबंध में

यूपीएससी सिविल सेवा सामान्य अध्ययन के विगत 22 वर्षों (वर्ष 2000-2021 तक) के प्रश्नों का हल पाठ्यक्रम के अनुसार खंडवार प्रकाशित किया जा रहा है। यह हल प्रश्न पत्र सह पाठ्य सामग्री है जो छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। पुस्तक के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि प्रश्नों के स्वरूप में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखे जाने चाहिए।

पुस्तक का स्वरूपः हाल के वर्षों में मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रकृति में निरंतर बदलाव हो रहा है। इस बात से अभ्यर्थी अनभिज्ञ रहते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। प्रस्तु पुस्तक के माध्यम से भविष्य में पुछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने में सहायता मिलेगी। परीक्षार्थी आने वाले प्रश्नों की बदलाव को समझने के लिए विगत वर्षों के क्रम में अध्ययन करें, यानी प्रश्नों को पढ़ने की प्रक्रिया विषयवार पुराने साल से नए साल के क्रम में करें।

प्रश्नों को हल करने की रणनीतिः प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हो, पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हो साथ ही विषय से संभावित अन्य प्रश्नों से जुड़ी विशिष्ट जानकारी को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रश्नों के उत्तर उसके संबंधित वर्ष के अनुसार ही दिए गए हैं। पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर उसके लिए निर्धारित की गई शब्द सीमा से ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन अभ्यर्थी अपने उत्तर लेखन शैली को आधुनिक परिपेक्ष्य में बिंदुवार, निश्चित शब्द सीमा का पालन एवं उप शीर्षक आदि का प्रयोग कर अभ्यास कर सकते हैं।

पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगीः यह पुस्तक छात्रों को यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों (उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एवं झारखण्ड) में भी बदले हुए पाठ्यक्रम में आयोजित होने वाले सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में उपयोगी साबित होगा।

अनुक्रमणिका

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र 2000-2021

❖ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (प्रथम प्रश्न-पत्र).....1-15
❖ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (द्वितीय प्रश्न-पत्र).....17-31
❖ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (तृतीय प्रश्न-पत्र).....32-47
❖ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (चतुर्थ प्रश्न-पत्र).....48-64

प्रथम प्रश्न–पत्र

1. भारत एवं विश्व इतिहास.....9–46
   - आधुनिक भारत.....10
   - विश्व इतिहास.....41
   - स्वतंत्रोत्तर भारत.....44
2. भारतीय विरासत एवं संस्कृति.....47–62
   - विरासत.....47
   - संस्कृति.....53
3. समाज.....63–89
4. भूगोल.....90–122
   - भौतिक भूगोल.....90
   - पर्यावरण.....102
   - आर्थिक.....107
   - मानवीय.....116

द्वितीय प्रश्न–पत्र

1. राजव्यवस्था.....123–199
   - वैधानिक व्यवस्था.....124
   - स्थानीय शासन.....175
   - न्यायपालिका.....178
   - निर्वाचन.....186
   - सांगठनिक व्यवस्था.....189

2. सामाजिक न्याय 200–224

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध 225–260
 - द्विपक्षीय संबंध 225
 - बहुपक्षीय संबंध 237
 - अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम 246

तृतीय प्रश्न–पत्र

1. अर्थव्यवस्था 261–305

2. कृषि एवं संबंधित विषय 306–327

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 328–363

4. पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 364–388

5. सामाजिक व राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा 389–408

चतुर्थ प्रश्न–पत्र

1. नैतिक और मानवीय व्यवहार 409–415

2. मानवीय मूल्य 416–420

3. मनोवृति 421–426

4. भावनात्मक बुद्धि/दार्शनिकों का योगदान 427–432

5. लोक सिविल सेवा के मूल्य और लोक प्रशसन में नैतिकता 433–440

6. शासन में ईमानदारी 441–448

7. केस स्टडी 449–480

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021
प्रथम प्रश्न-पत्र

भारतीय संस्कृति एवं विरासत

प्रश्न: भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: 'भक्ति' एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'समर्पण' (Devotion) होता है। एक भक्त का अपने सर्वोच्च देवता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव ही भक्ति आन्दोलन का सार है। 7वीं से 10 वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में प्रचलित अलवार और नयनार संतों की कविताओं के द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। भक्ति साहित्य को इस सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम माना जाता है, जिसका लेखन कार्य 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा। इस आंदोलन में सामाजिक रूप से समावेशी मानसिकता (Inclusive Mindset) तथा क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा मिला।

भक्ति साहित्य की प्रकृति

- **धार्मिक (Religious):** भक्ति साहित्य की धार्मिक प्रकृति को शंकरदेव की कीर्तन घोष (वैष्णव भक्ति गीत) और तिरुमुरै/थिरुमुरई (Thirumurais) (शिव की पूजा हेतु तमिल गीत) जैसी कृतियों से समझा जा सकता है।
- **प्रत्यक्ष धार्मिक दृष्टिकोण (A Straight Forward Approach to Religion):** तात्कालिक समय में वेद एवं उपनिषद के जटिल दर्शन को आम लोगों के लिए समझना एक कठिन कार्य था। इन कठिनाइयों से बचने के लिए लोगों ने स्वयं प्रत्यक्ष पूजा एवं धार्मिक पद्धतियों के साथ सामाजिक मूल्यों की खोज की। भक्ति साहित्य इन्हीं पद्धतियों में से एक विकल्प बनकर सामने आया, जिसने लोगों को भौतिक संसार से राहत प्रदान करने में मदद की।
- **आपसी सद्भाव (Interfaith Harmony):** जहाँ एक तरफ बाबा फरीद की सूफी कविताओं ने सिख धर्म में उच्च मानदंडों को स्थापित किया वहीं अवध में रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ने देश भर में लोकप्रियता अर्जित की।
- **समतावादी दृष्टिकोण (Egalitarian Approach):** भक्ति आंदोलन ने जातिभेद और लिंगभेद से ऊपर उठकर भारत में ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के अपने संदेश का प्रसार किया।
- **अभिजात्यवाद के खिलाफ (Against Elitism):** भक्ति साहित्य की सफलता इस बात में निहित थी कि उसने गैर-अभिजात्य दृष्टिकोण यथा- क्षेत्रीय बोलियाँ, बहिष्कृत जातियों का समावेश, कर्मकांड विरोध एवं ईश्वर के प्रति अहैतुक प्रेम पर जोर दिया।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर (Emphasis on Local and Regional Languages):** भक्ति काल के संतों ने लिखने और प्रचार करने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, जहाँ अलवार और नयनार संतो ने संस्कृत के स्थान पर तमिल भाषा का प्रयोग किया वहीं उत्तर भारत में सूरदास ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप, उन्हें जनता द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया गया।

भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान

- **धर्म (Religion):** भक्ति साहित्य ने धर्म को महज अनौपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि उपासक एवं ईश्वर के मध्य प्रेम पर आधारित एक पवित्र बंधन के रूप में निरूपित किया है।
- **भाषाई विकास (Linguistic Development):** भक्ति साहित्य ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय भाषाओं और साहित्य के विकास का नेतृत्व किया है। उदाहरण के रूप में तुकाराम, सिख गुरुओं एवं शंकरदेव जैसे अन्य संतों ने मराठी, पंजाबी (इसकी लिपि गुरुमुखी), असमिया एवं अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया।
- सूफी संतों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस्लाम का भारतीयकरण भी हुआ। उदाहरण के रूप में, निजामुद्दीन औलिया, रहीम एवं मोइनुद्दीन चिश्ती एवं अन्य संतों ने इस दिशा में विशेष योगदान दिया।
- **संगीत और नृत्य (Music and Dance):** कीर्तन, कव्वाली जैसे भक्ति गायनों के साथ ही सत्तरीया जैसे भक्ति नृत्यों में भी भक्ति साहित्य का प्रयोग होने लगा।
- **दार्शनिक विकास (Philosophical Development):** माधवाचार्य ने अपने द्वैताद्वैतदर्शन में एवं रामानुजाचार्य के विशिष्टअद्वैतवाद के अपने दर्शन में, वेदांत के बाद दर्शन की बात की। इस आंदोलन में धर्म के प्रसार में योगदान देने वाले अनेक संतों और धार्मिक आदर्शों को आत्मसात किया गया। इसी दार्शनिक यात्रा पर आगे चलकर सिख धर्म और कबीरपंथी जैसे संप्रदायों का उदय हुआ।
- **कविता (Poetry):** भक्ति कविता आज भी भारतीय जनमानस में सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्तमान समय में भी, यह कुछ हद तक लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं और भावनाओं को पूर्ण करता है। उदाहरण के लिए, मीरा बाई के भजनों को वर्तमान समय में भी उच्च साहित्यिक मूल्य का कार्य माना जाता है।

- **समाज और सामाजिक प्रथाएं (Society and Social Practices):** समाज में अनेक कुप्रथाएँ जैसे वर्ण व्यवस्था, अप्रासंगिक अनुष्ठान, धार्मिक कुप्रथाएँ, अंध विश्वास तथा सामाजिक हठधर्मिता आदि व्याप्त थीं। भक्ति साहित्य ने आम आदमी को इन सामाजिक कुप्रथाओं/बुराइयों से मुक्त किया और उनके स्थान पर सरल विधियों तथा प्रथाओं के साथ धर्म का उदार स्वरूप को प्रस्तुत किया।
- हालाँकि, रूढ़िवादिता से विचलित न होने के बावजूद भक्ति साहित्य राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिणित नहीं हो सका। किंतु, इसका समाज में व्यापक प्रसार हुआ। भक्ति साहित्य ने भक्ति पंथ को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के काल में लिखा गया साहित्य पूर्व धार्मिक ग्रंथों (जो संस्कृत में लिखे गए थे तथा मुख्यत: धार्मिक अनुष्ठानों व प्रथाओं पर केंद्रित थे) से अलग था, इसने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया।

भारत और विश्व का इतिहास

प्रश्न: नरमपंथियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: 1885 से 1905 तक का समय राष्ट्रवादी विकास का एक सुस्त दौर माना जाता है। भारत में उदार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में इस चरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने अंतत: कट्टरपंथी राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

इस समय के आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण की नींव रखने के लिए कई प्रकार के सार्वजनिक मुद्दों और मांगों का सहारा लिया।

मांग के तरीके

- 3Ps: प्रार्थना (Prayer), याचिका (Petition), प्रचार (Propaganda)।
- इनके आंदोलन की प्रकृति एवं उनकी मांगें संवैधानिक थीं।
- उन्होंने 'निष्क्रिय प्रतिरोध' (Passive Resistance) के मार्ग का चयन किया।
- आंदोलन का तरीके मुख्य रूप से 'बहिष्कार' (Boycott) पर आधारित थे।

स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक आधार तैयार करने में नरमपंथियों की भूमिका

- **भारत में ब्रिटिश आर्थिक प्रणाली की आलोचना**
  - इस काल के आंदोलनकारियों ने आने वाली पीढ़ियों को शोषणकारी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वास्तविकता से अवगत कराया।
  - नरमपंथी नेताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया।
  - दादाभाई नौरोजी ने भारत के आर्थिक शोषण की व्याख्या करते हुए धन निकासी सिद्धांत (Theory of Drain of Wealth) प्रतिपादित किया।
- **व्यापक आर्थिक सुधारों की मांग**
  - इन आंदोलनकारियों ने आने वाली पीढ़ियों को शोषणकारी आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जागरूक किया।
  - इनके द्वारा की जाने वाली मांगों में भू-राजस्व को कम करने तथा जमीदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध राजस्व वसूली को रोकने जैसे कार्य शामिल थे।
  - इनके अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा सैन्य खर्चों में कटौती करके स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर धन के आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए।
  - उन्होंने मांग की कि बागान मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों को बेहतर किया जाए।
  - कृषि बैंकों की सहायता से किसानों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जाने की मांग की गई।
  - इन्होंने आयात शुल्क में वृद्धि किये जाने के साथ ही भारतीय उद्योगों को विकसित एवं संरक्षित किए जाने की मांग की।
- **संवैधानिक सुधारों की मांग**
  - आने वाली पीढ़ियों को संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करने में इनका विशेष योगदान था।
  - उनकी मांग थी कि परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए।
  - इनका दीर्घकालिक लक्ष्य स्वशासन/स्वराज प्राप्त करना था।
- **प्रशासनिक सुधारों की मांग**
  - उन्होंने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।
  - इनका मानना था कि, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण से धन की निकासी में कमी आएगी।
  - वे चाहते थे कि प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नही किया जाना चाहिए।
  - भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में भी किया जाना चाहिए।
  - पुलिस एवं नौकरशाही के मनमानी रवैया पर नियंत्रण लगाने के लिए इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग की।
  - इनका मानना था कि शस्त्र अधिनियम और लाइसेंस अधिनियम जैसे कई अन्यायपूर्ण कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए।

हालाँकि, उदारवादी व्यापक आबादी को आकर्षित करने और सरकार से अपनी मांगे मनवाने में विफल रहे। इनके द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आगे चलकर चरमपंथी राष्ट्रवाद (Extremist nationalism) का उदय हुआ जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किए गए इनके व्यापक आधार का उपयोग करते हुए गांधीजी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अंतत: देश को स्वतंत्रता दिलाने में सफलता प्राप्त की।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021
द्वितीय प्रश्न-पत्र

राजनीति और शासन

प्रश्न: क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: 'नागरिक सामाजिक समूह' गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी और गैर-व्यावसायिक संगठन होते हैं। इनमें सामुदायिक समूहों (Community Groups), श्रमिक संघों (Labour Unions), स्वदेशी समूहों (Indigenous groups), परोपकारी संगठनों (philanthropic organizations), विश्वास-आधारित संगठनों (Faith-Based Organizations) और पेशेवर संघों (Professional Association) जैसे अनेक संगठनों को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-सरकारी संगठन (NGO) निजी संगठन होते हैं जो सामाजिक आर्थिक समस्याओं को कम करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा सामुदायिक विकास के लिए कार्य करते हैं।

सेवा वितरण के विकल्प के रूप में 'नागरिक समाज' और 'गैर सरकारी संगठन'

- नागरिक समाज को एक आवश्यक 'तीसरे क्षेत्र' के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी मजबूती एवं दृढ़ता राज्य और बाजार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
- 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' जैसी कौशल विकास और आजीविका सहायता योजनाओं को नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
- वे लोगों की आवश्यकताओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान' को आरंभ करने में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन द्वारा सभी को खाद्यान्न वितरित करने से संबंधित योजनाओं को लागू करने हेतु न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
- वे अंतिम छोर तक सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में आने वाली कमियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों ने कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान बेघरों और प्रवासियों के लिए भोजन, राशन और सब्जियाँ वितरित कीं।
- उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही नागरिक समाज को पारदर्शिता, प्रभावशीलता, खुलेपन तथा जवाबदेही में वृद्धि का एक प्रमुख कारक माना जाता है। यह संगठन नीतियों का विश्लेषण करके सुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- वे राज्य के प्रदर्शन और सार्वजनिक अधिकारियों की कार्रवाई तथा व्यवहार के विनियमन और निगरानी द्वारा सुशासन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही, सामाजिक पूँजी का निर्माण करके नागरिकों को इस योग्य बनाते हैं जिससे वे मूल्यों, विश्वासों, नागरिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रथाओं की स्पष्ट पहचान कर सकें।

लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियाँ

- गैर-सरकारी संगठनों के समक्ष सरकार की ओर से निरंतरता (Continuity) और तदर्थवाद (Ad-Hocism) की कमी जिसका सामना करना पड़ता है, परिणामस्वरूप वे दीर्घकाल के लिए सरकार के साथ जुड़ने में स्वयं को अक्षम पाते हैं।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन के दुरूपयोग के अनेक मुद्दे सामने आए हैं। इससे सरकार में लोगों और अधिकारियों के विश्वास में कमी आती है। इस प्रकार की गतिविधियों के कारण सरकार को 'फेमा' और 'फेरा' कानून के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए मजबूर किया है।
- यह भी पाया गया है कि गैर-सरकारी संगठन प्रतिबंधित संगठनों तथा नक्सलियों के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रखने के लिए सरकारी प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की माँग की जाती रही है।
- अनेक बार इस प्रकार के भी मामले सामने निकल कर आए हैं कि, कुछ गैर-सरकारी संगठन सांसदों की अनुचित पैरवी करते हैं तथा मीडिया का उपयोग करके मुद्दों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं।

नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन 'सामाजिक पूँजी' (social capital) के माध्यम से कार्य करते हैं। यह लोगों की अपने दीर्घकालिक सामान्य हितों में स्वेच्छा से एक साथ कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। समतावादी एवं न्यायसम्मत समाज में सामाजिक पूँजी चुनौतियों का समाधान करने तथा शासन संबंधी प्रक्रियाओं (Governing Processes) को सुव्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन निश्चित रूप से आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न: एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सी.बी.आई. जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति अत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: सी.बी.आई. की स्थापना वर्ष 1963 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। बाद में, इसे कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के आधीन स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946' से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला सामने आया कि सी.बी.आई. को अनेक राज्यों ने जाँच हेतु 'सामान्य सहमति' प्रदान नहीं की है।

सहमति के प्रकार

1. **सामान्य सहमति (Consent in General):** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 (जिसके तहत सी.बी.आई. संचालित होती है) के अनुसार, किसी मामले की जाँच के संदर्भ में राज्यों द्वारा सी.बी.आई. को 'सामान्य सहमति' प्रदान किए जाने के पश्चात उसे प्रत्येक बार राज्य में प्रवेश करने अथवा संबंधित मामले के संदर्भ में अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
2. **विशेष सहमति (Special Consent):** सामान्य सहमति (General consent) के रद्द किए जाने की स्थिति में सी.बी.आई. को संबंधित राज्य सरकार से जाँच हेतु प्रत्येक मामले के लिए अलग से सहमति लेना आवश्यक हो जाता है।

सामान्य सहमति वापस लेने का प्रभाव

- सहमति वापस लेने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सी.बी.आई. राज्यों के भीतर स्वतंत्र छापेमारी, जाँच और तलाशी नहीं कर सकती है, जिससे जाँच और न्याय में देरी हो सकती है।

मुख्य मुद्दा

- कम से कम आठ राज्यों ने सी.बी.आई. को 'सामान्य सहमति' से वंचित कर दिया है तथा उसे अपने राज्यों में जाँच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सी.बी.आई. को सामान्य सहमति देने से इनकार कर दिया है।

सी.बी.आई. का पक्ष

- सी.बी.आई. ने मत व्यक्त किया कि राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकृति वापस लेने से संघीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों की जाँच अप्रभावी हो जाएगी। यह 1946 के जनादेश के DSPI अधिनियम का उल्लंघन है।
- सी.बी.आई. ने कहा है कि राज्यों द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विरुद्ध राजनीति से प्रेरित हैं। राज्यों का मानना है कि सी.बी.आई. का उपयोग उनके खिलाफ किया जा रहा है। सामान्य सहमति वापस लेने से सी.बी.आई. की शक्तियाँ कमजोर हुई हैं तथा इन राज्यों में सी.बी.आई. अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है।

सी.बी.आई. के इस रुख पर राज्यों की प्रतिक्रिया

- सी.बी.आई. केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है तथा राज्यों का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। राज्यों ने यह स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार द्वारा अक्सर किए जाने वाले राजनीतिक प्रतिशोध के विरुद्ध उन्होंने सी.बी.आई. को दी जाने वाली सामान्य सहमति रोक दी है। राज्य अपनी स्वायत्तता को लेकर चिंतित हैं- कि सी.बी.आई. की तैनाती से बाधित होती है।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सी.बी.आई. को अपने जाँच के दायरे को विस्तारित करने के लिए राज्यों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- सी.बी.आई. की स्थापना संघ सूची की प्रविष्टि 80 के आधार पर की गई थी। प्रविष्टि 80 के अंतर्गत पुलिस बल के एक राज्य से दूसरे राज्य में (राज्यों की अनुमति के बिना) विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

संपूर्ण मुद्दे को देखा जाए तो मुख्य समस्या यह निकल कर सामने आती है कि सी.बी.आई. को एक संघीय पुलिस निकाय के रूप में विधिवत परिभाषित करने वाले केन्द्रीय/राज्यीय कानूनों का अभाव है। अनेक राज्यों द्वारा सहमति वापस लिए जाने की स्थिति में यह किया जा सकता है कि यथोचित न्यायिक शक्ति एवं स्वतंत्रता वाली एक संघीय एजेंसी का गठन किया जाए। ऐसा किए जाने की स्थिति में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 को उपर्युक्त प्रस्तावित कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

यहाँ तक कि, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, यह आदेश देता है कि सरकार के सभी अंग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निर्णायक एवं निष्पक्ष कार्रवाई करें। केंद्र सरकार को राज्यों की मुख्य माँग को संबोधित करते हुए सी.बी.आई. को अधिक अधिकार देने के लिए क्च्ै अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। राज्य अथवा केंद्र, प्रत्येक हितधारक का ध्यान रखते हुए सी.बी.आई. को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए।

प्रश्न: यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालीयों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था जिसे पुन: वर्ष 2006 और 2019 के मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। यह अधिनियम मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए बनाए गए पेरिस सिद्धांतों

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021
तृतीय प्रश्न-पत्र

आर्थिक विकास

प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: आर्थिक शब्दावली में V-आकार की रिकवरी (V-shaped recovery) का अर्थ अर्थव्यवस्था में त्वरित गिरावट के पश्चात तीव्र आर्थिक वृद्धि से होता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है क्योंकि इसमें आर्थिक वृद्धि में त्वरित रूप से सुधार करने की क्षमता होती है। कोविड-19 महामारी काल में आई मंदी के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था ने V-आकार के पुनरुत्थान या रिकवरी का अनुभव किया।

यह V-आकार की रिकवरी क्यों है?

- भारतीय अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, जहाँ यह बताया गया है कि भारत में नकारात्मक वृद्धि के पश्चात वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 20% की वृद्धि हुई है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लगातार दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई है। पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। समीक्षा में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही आधार पर इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इस संदर्भ में देश में आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी में सर्वाधिक योगदान 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' (Self-reliant India Mission) तथा 'राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन' (National Investment Pipeline) जैसी योजनाओं ने किया है। अवसंरचनागत सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक संकेतकों में सुधार देखा गया।

अनेक विद्वान इस रिकवरी को V-आकार की रिकवरी मानने से इनकार करते हैं। इनके अनुसार सरकार ने V-आकार की रिकवरी के दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सालाना आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को प्रस्तुत किया है। जबकि, विद्वान तिमाही आधार पर प्राप्त होने वाले आर्थिक अनुमानों की गणना का समर्थन करते हैं। आलोचकों के विभिन्न दावों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2020 में कोविड -19 महामारी द्वारा उत्पन्न नकारात्मक आर्थिक प्रवृत्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरने सक्षम हुई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग ने भारत को अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की है।

प्रश्न: 'तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।' भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। बुनियादी ढाँचा व्यापार गतिविधियों को सक्षम बनाता है तथा देश में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को गति प्रदान करता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में निवेश से श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं तथा देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है।

अनेक ऐसे कारण हैं जो तीव्र एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश को आवश्यक मानते हैं:

- **रोजगार में वृद्धि:** स्थाई संपत्तियों के निर्माण के साथ सड़क तथा रेल क्षेत्र निवेश हेतु व्यापक बुनियादी ढाँचा प्रस्तुत करता है। इन क्षेत्रों में पूँजी के निवेश से औपचारिक एवं अनौपचारिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत होने वाली निवेश प्रक्रिया से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, ऐसा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी तथा परिवहन में सुधार किया जा सकता है।
- कृषि तथा सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढाँचे में अतिरिक्त निवेश से भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन जैसी गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य अंतत: किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक होंगे।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को सुधार करके लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

- विश्व स्तरीय सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जल मार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत (Logistic Cost) में कमी आएगी तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार होने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- इस प्रकार की गतिविधियों से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा जिससे सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। समावेशी विकास के मार्ग पर चलकर गरीबी को कम करने के साथ देश में आय असमानता को कम करने में मदद मिलेगी।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित बुनियादी ढाँचे को सुधार करके देश के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण, राजमार्ग एवं सड़क परिवहन, कृषि विकास तथा कृषि प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा करके देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और खाद्य सामग्री का प्रमुख निर्यातक बनाया जा सकेगा।
- ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों तथा सुरक्षित परिवहन संबंधी बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ावा देकर सामाजिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान किया जा सकता है।
- शैक्षिक संस्थाओं में बुनियादी ढाँचे को सुधार करके प्रारंभिक स्कूल तथा चाइल्ड केयर जैसी गतिविधियों को सुधारा जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों के आरंभिक जीवन में सीखने की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती हैं।

बुनियादी ढाँचे के सुधार हेतु सरकारी पहल

- सरकार द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) में शामिल परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 7,400 कर दिया गया है। सरकार ने जुलाई, 2021 तक NIP के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
- गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में सरकार की योजना है कि दूरसंचार नेटवर्क में सुधार किया जाए तथा गैस पाइपलाइनों से लेकर राजमार्गों एवं रेल परियोजनाओं हेतु एक भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म (Geospatial Digital Platform) निर्मित किया जाए।
- दूसरे बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP-2) के तहत वैश्विक विशेषज्ञता तथा नई तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों को परिभाषित किया जाएगा, जिससे बांधों की सुरक्षा में वृद्धि की जा सके।
- भारतमाला और सागरमाला मिशन (Bharatmala and Sagarmala Mission) भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सड़क और समुद्री संपर्क कार्यक्रम हैं। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में सुधार होगा।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ावा देकर आर्थिक एवं समावेशी विकास में वृद्धि की जा सकती है। ऐसी गतिविधियों में स्पष्ट जवाबदेही एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। अत:, बुनियादी ढाँचे से संबंधित आँकड़ों एवं सूचनाओं को एकीकृत प्लेटफार्म पर लाया जाना चाहिए। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों एवं व्यवसायों की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक, जनसांख्यिकीय, वित्तीय एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ बुनियादी ढाँचे में निवेश की प्रक्रिया को समायोजित किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को भारत सरकार द्वारा 2013 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जनसंख्या को सब्सिडी आधारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने की बात की गई है। अत:, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करता है।

NFSA की मुख्य विशेषताएं

- वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2013 के प्रावधानों द्वारा संचालित होती है।
- इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज को पूर्ववर्ती 'गरीबी अनुमानों' से पृथक कर दिया गया है।
- यह अधिनियम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर देश की कुल आबादी के लगभग 2/3 भाग को कवर करता है।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) तथा प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) से संबंधित योजना के तहत लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करती है।
- राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनसंख्या के कवरेज का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग इस हेतु वर्ष 2011-12 के घरेलू उपयोग व सर्वेक्षण के आधार पर संग्रहित किए गए (NASSO द्वारा) आँकड़ों का उपयोग करता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार को 35 किलोग्राम जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभार्थियों/परिवारों की पहचान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार की पहचान हेतु मानदंडों का निर्धारण राज्य सरकारें स्वयं करती हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित खाद्यान्न में कमी नहीं की जाती है। आवंटन में अंतराल होने पर उसकी भरपाई अतिरिक्त आवंटन के माध्यम से की जाती है।
- राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में लाभार्थी परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को 'परिवार का मुखिया' माना जाता है।
- अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर राज्य खाद्य आयोगों, DGRO तथा सतर्कता समितियों के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं।
- अधिनियम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त अभिलेखों का प्रकटीकरण आवश्यक बनाया गया है। साथ ही, यह प्रावधान है कि लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक डोमेन/पोर्टल पर रखा जाएगा।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021
चतुर्थ प्रश्न-पत्र

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

प्रश्न: उन पाँच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मेट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: नीतिशास्त्र हमें यह जानकारी कराता है कि कार्यों को सही ढंग से किस प्रकार किया जाए। नीतिशास्त्र का उद्देश्य अच्छे और बुरे, सही और गलत जैसे शब्दों को परिभाषित करना है। एक उपयुक्त और नैतिक सिविल सेवक कभी भी आत्मसंतुष्टि अथवा सुविधाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा से प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों से समझौता नहीं करता है।

पाँच नैतिक लक्षण जिन पर एक सिविल सेवक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है:

1. **उच्चतम स्तर की सहानुभूति (Compassion):** समाज के गरीब, विकलांग और कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति सर्वोच्च गुण है जो एक सरकारी कर्मचारी के पास होना चाहिए।
2. **सत्यनिष्ठा का उच्चतम स्तर:** कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई करते समय, एक लोक सेवक उच्चतम ईमानदारी के साथ कार्य करता है और कभी भी अपने निजी हितों को प्राथमिकता देने के लिए अपनी शक्ति, स्थिति या विवेक का उपयोग नहीं करता है।
3. **निस्वार्थता:** यह भाई-भतीजावाद और वंशवाद के साथ-साथ हितों के टकराव और सार्वजनिक संसाधनों तथा प्राधिकरण के दुरुपयोग से निपटने में मदद करता है।
4. **न्याय का सिद्धांत:** प्रत्येक स्थिति में, सिविल सेवकों को न्याय, समानता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इनके आधार पर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के स्थान पर योग्यता आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
5. **जवाबदेही और पारदर्शिता:** सिविल सेवकों को अपने सभी निर्णय स्पष्ट और स्पष्ट तथा गैरपक्षपातपूर्ण रूप से लेने चाहिए। इनको अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

ये पांचों लक्षण एक सिविल सेवक के लिए उसके करियर में आधार बनाने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक प्रत्येक स्थिति में अपने पेशेवर दायित्व को पूरा करता है। अन्य लक्षण जैसे जवाबदेही, लचीलापन तथा काम के लिए प्रतिबद्धता जैसे गुण उसके कार्यों में उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न: उन दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: किसी व्यक्ति, पेशे अथवा संगठन की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए मानकों का निर्धारण करने वाले आधारभूत मूल्यों की पहचान करना एक व्यापक कार्य है।

एक प्रभावी लोक सेवक बनने के लिए आवश्यक दस आधारभूत मूल्य

1. **पारदर्शिता (Transparency):** इसके अंतर्गत सूचनाओं को साझा करना शामिल है, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करता है।
2. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** तर्कसंगतता, वैधता और सिद्ध मानकों का पालन।
3. **सहानुभूति (Compassion):** दूसरे व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने में मदद करने की इच्छा।
4. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** पेशेवर मूल्यों के अनुरूप और प्रतिबद्ध रहने की क्षमता।
5. **समानुभूति (Empathy):** दूसरे के मन और भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता।
6. **जवाबदेही (Accountability):** उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहना, जिनके लिए निर्णय लिए जाते हैं।
7. **व्यावसायिकता (Professionalism):** दूरदर्शी होना, सार्वजनिक धन और सूचना का प्रबंधक तथा सेवा के महत्त्व की समझ।
8. **नेतृत्व (Leadership):** परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दूसरों को सहमत करने की क्षमता।
9. **जवाबदेही (Responsiveness):** लोगों से जुड़ने और संप्रेषण अंतर (Communication Gap) को कम करने में मदद करता है।
10. **साहस (Courage):** विपरीत परिस्थितियों में भी आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता।

लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के उपाय तथा साधन

- प्रभावी कानून, नियम और विनियम का क्रियान्वयन करना जो स्पष्ट रूप से क्या करें एवं क्या न करें के साथ-साथ अनैतिक व्यवहार की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक प्रणाली स्थापित करते हैं।

- विवेकाधीन अधिकार को सीमित करके तथा नागरिकों एवं सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करके भ्रष्ट आचरण के अवसरों को कम करना।
- पारदर्शिता तथा जवाबदेही से संबंधित उपायों जैसे कि आरटीआई, सोशल ऑडिट और ई-गवर्नेंस का प्रभावी क्रियान्वयन करना। इस संदर्भ में, व्हिसलब्लोअर्स को उचित सुरक्षा प्रदान करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- बेहतर स्टाफ प्रबंधन, मजबूत नैतिक क्षमता तथा सचेत विवेकी व्यक्तियों का चयन करना। प्रदर्शन-आधारित पदोन्नति एवं समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रदर्शन-आधारित बोनस प्रदान करके उपयुक्त प्रोत्साहन देना तथा अनैतिक व्यवहार के लिए दंड सुनिश्चित करना।

इन मूल्यों को लोक सेवकों में उनके पेशेवर करियर के आरंभ से ही विकसित किया जाना चाहिए ताकि उनकी समग्र दक्षता में वृद्धि हो और वे अधिक नागरिक-केंद्रित बन सकें।

प्रश्न: तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश (इनपुट) के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: हमारे समाज में डिजिटल तकनीक सर्वव्यापी हो गई है। ये व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के निर्णय लेने के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि, ये प्रौद्योगिकियाँ निर्णय लेने की तर्कसंगतता और प्रभावशीलता को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ

- **डेटा संग्रह (Data Collection):** डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अधिक आसानी से डेटा एकत्र किया जाता है। उदाहरण के लिए जनगणना, एनआरसी आदि जैसे विभिन्न सर्वेक्षण।
- **डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं (Data Processing Capabilities):** डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, आदि जैसे उन्नत टूल का उपयोग करके तकनीक सटीक और तीव्र निर्णय लेने के लिए डेटा की एक बड़ी मात्रा को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इस प्रक्रिया से सार्थक जानकारी सामने आती है। उदाहरण के लिए, नीतिगत निर्णय लेने के लिए NFHS डेटा का उपयोग करना।
- **रियल टाइम मॉनिटरिंग (Real Time Monitoring):** इससे परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद मिलती है। साथ ही, इसका उपयोग करके कोई भी सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए SBM और NHAI निर्माण अपडेट की रीयल टाइम मॉनिटरिंग करना।
- **डेटा एकीकरण (Data Integration):** तकनीकी के कारण विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तृत डेटा और सूचनाओं को एकत्र करने में मदद मिलती है। उदाहरण- ई-नाम तथा GEP पोर्टल जो विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत करता है।
- **आसानी से सुलभ (Easily Accessible):** वर्तमान समय में दुनिया तकनीक की मदद से आपस में जुड़ी हुई है और इसके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक एक ही समय में जानकारी पहुंचती है। उदाहरण- सरकार द्वारा कोविड-19 के समय की गई लॉकडाउन की घोषणा।

तर्कसंगत निर्णय लेने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के दोष

- **भेदभाव और अन्यायपूर्ण बहिष्करण (Discrimination and unjust Exclusion):** डिजिटल तकनीक के कारण कई लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण- आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक न करने के कारण हाशिए के अधिकांश लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) से बाहर हो जाते हैं।
- **जालसाजी करना (Manipulation):** डिजिटल प्रौद्योगिकी से नियंत्रण, जालसाजी तथा हेरफेर की संभावनाएं बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए- चुनाव अभियानों के दौरान नागरिकों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ एक आम समस्या है।
- **अमानवीकरण (Dehumanization):** लोगों को 1s और 0s के सेट के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों से यांत्रिक तर्कसंगतता तो प्राप्त हो जाती है किंतु इस प्रक्रिया में करुणा और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।
- **न्याय (Justice):** प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को गलत ठहराकर उस पर दोषारोपण किया जा सकता है। यह संभव हो सकता है कि पूर्ण रूप से तकनीक पर आधारित साक्ष्य व्यक्ति के विरुद्ध हो।
- **निश्चित तर्कसंगतता (Fixed Rationality):** प्रत्येक स्थिति के संदर्भ में लोग अपनी स्वयं की धारणा का निर्माण करके उसके अनुसार कार्य करना पसंद हैं। यही कारण है कि तकनीकी रूप से जानकारी के उपलब्ध होने पर भी लोगों की तर्कसंगत रूप से कार्य करने की संभावना सीमित हो सकती है।
- गलत खबरें एवं दुष्प्रचार व्यक्तियों के व्यवहार को संदिग्ध रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। यह स्थिति लोगों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की तर्कसंगतता के लिए खतरा हो सकती है।
- ज्ञान भ्रम, इसे अर्थशास्त्री ज्ञान का अभिशाप कहते हैं। अनेक बार जब हमें किसी विषय के संबंध में जानकारी होती है तो हमारे लिए यह अपनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी हो सकती है। ज्ञान भ्रम की यह उच्चतम अवस्था होती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना को प्राप्त करने के संदर्भ में डिजिटल तकनीकी का सहारा लिया जा सकता है किंतु, निर्णयों की तर्कसंगतता मानवीय मूल्यों, दृष्टिकोणों और विवेक पर आधारित होनी चाहिए।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न-पत्र

भारत एवं विश्व इतिहास

आधुनिक भारत

प्र. 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: 1920 के दशक को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दशक के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता मिली और साथ ही अनेक वैचारिक धाराओं का उदय हुआ।

- **गांधीवादी जन आंदोलन:** 1920 के दशक के बाद एक प्रमुख विचारधारा के रूप में गांधीवादी विचारधारा प्रचलित हुई। सत्य, अहिंसा एवं असहयोग की विधियों को अपनाकर इस विचारधारा ने समाज के लगभग सभी वर्गों विशेषकर किसानों, श्रमिकों तथा महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया।
- **अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1920 में अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस संगठन की स्थापना की। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति मजदूरों में जागरूकता लाने में इस संगठन ने व्यापक भूमिका निभाई।
- **स्वराज दल:** 1 जनवरी, 1923 को देशबन्धु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा एक राजनीतिक दल के रूप में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसने 1919 के अधिनियम के आधार पर हुए चुनावों में भाग लिया तथा विधान परिषद में सरकार की आलोचना करने का काम किया।
- **साम्यवादी विचारधारा:** 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की औपचारिक रूप से कानपुर में स्थापना हुई। हालांकि आरंभ में अंग्रेजों द्वारा इस तरह के चलाए जाने वाले आंदोलन को क्रूरता से दबा दिया गया, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक इस आंदोलन का सामाजिक आधार अत्यंत ही विस्तृत हो गया था।
- **क्रांतिकारी विचारधारा:** गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद अनेक असंतुष्ट युवाओं ने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। उत्तरी भारत में भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां इस विचारधारा से संबंधित प्रमुख उदाहरण हैं।

इस प्रकार हम 1920 के दशक के बाद भारत में अनेक विचारधाराओं के उदय को देख सकते हैं। सीमित मतभेदों के बाद इन सभी विचारधाराओं का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति ही था और इसी उद्देश्य पर चलते हुए इन विचारधाराओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक सामाजिक आधार को निर्मित किया।

प्र. लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: ब्रिटिश वायसराय के रूप में लार्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल 6 वर्ष (1899-1905) का था। अपने कार्यकाल में कर्जन ने लगभग सभी विभागों को अपने प्रशासनिक नीतियों से प्रभावित किया।

- **सिंचाई:** 1901 ई. में सर कोलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग में सुधार के लिये आयोग नियुक्त किया। लंबी अवधि में देश में सिंचाई क्षमता के विस्तार के संदर्भ में ये सिफारिशें महत्वपूर्ण साबित हुईं।
- **पुलिस आयोग:** 1902 ई. में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। पुलिस व्यवस्था के विकेंद्रीकरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि एक केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित थी। केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग का गठन किया गया।
- **शैक्षिक सुधार:** वर्ष 1902 के विश्वविद्यालय आयोग तथा वर्ष 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम ने कॉलेजों के अधिकारिक निरीक्षण, उनकी संबद्धता तथा अस्वीकृति के विषय में भारत सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की। इस प्रणाली ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय शैक्षिक सुधारों की गति को धीमा करने का काम किया।
- **भूमि सुधार:** निजी संपत्ति बनने के कारण भूमि को मालिकों की इच्छा के अनुसार खरीदा एवं बेचा जा सकता था। इस प्रक्रिया से कृषि योग्य भूमि का तेजी से साहूकारों, वाणिज्यिक तथा गैर-कृषि वर्ग के हाथों में स्थानांतरण हुआ।
- **व्यापक कर्ज:** 1899 में अकाल के दौरान, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए उपाय अत्यंत ही निम्न स्तर के थे। साथ ही, जो भी राहत उपाय किए गए थे वह कर्ज पर आधारित थे।
- **बंगाल विभाजन:** प्रशासकीय सुविधा के आधार पर वर्ष 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध देश में स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया।
- **रेलवे का विकास:** कर्जन ने रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। मौजूदा रेलमार्गों को बेहतर बनाया गया तथा नए मार्गों पर कार्य शुरू किया गया। 1905 ई. में सरकारी रेलमार्गों का रेल विशेषज्ञों के सुझावों के अनुसार प्रशासनिक तथा नियंत्रण मामलों के लिये रेलवे बोर्ड का गठन किया गया।

उपरोक्त के साथ ही, उद्योग विभाग की स्थापना, प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1904 पारित करना कर्जन कि अन्य प्रशासनिक नीतियों में शामिल थे, जिनका आने वाले समय में व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।

प्र. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तर: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1920-1947 के काल को गांधी प्रावस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दौरान गांधी ने विभिन्न स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया एवं ब्रिटिश के साथ संवैधानिक एवं वैचारिक वार्ता की अगुवाई की।

गांधी प्रावस्था के दौरान अनेक स्वर उभरकर आए। इन्होंने न केवल आंदोलन को सुदृढ़ व समृद्ध बनाया, बल्कि राष्ट्र को स्वतंत्रता की दहलीज पर ला खड़ा किया। इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है-

- **समाजवादी स्वर:** इसका उत्थान 1920 एवं 1930 के दशक में हुआ तथा इसके नेतृत्वकर्त्ता सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि थे।
  - इसका कांग्रेस के विचार से मूल स्वर अलग था।
  - ये उपेक्षित मुद्दे को लेकर सामने आए थे।
- **क्रांतिकारी स्वर:** यह 20वीं सदी के प्रारंभ से चली आ रही हिंसक विरोध की कड़ी थी। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खां आदि के नाम लिए जा सकते हैं।
- **स्वराज्यवादी स्वर:** इसका उभार असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद हुआ। यह विधानसभा में निर्वाचन के माध्यम से पहुंच कर परिवर्तन के समर्थक थे। इसके मुख्य चेहरे चितरंजन दास, बिट्ठलभाई पटेल आदि थे। चितरंजन दास की मृत्यु के उपरांत यह अप्रभावी होता चला गया।
- **वामपंथी स्वर:** ये 1917 की रूसी क्रांति के बाद उभरकर सामने आया। इसने श्रमिकों के हितों के लिए आवाज बुलंद की। 1931 की सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इसकी भूमिका देखी जा सकती है।
- **महिला स्वर:** असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया जा सकता है। इसमें सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कल्पना दत्त, ऊषा मेहता आदि को लिया जा सकता है।
- **दलित स्वर:** भीमराव अंबेडकर, ठक्कर बप्पा, महात्मा गांधी आदि के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। इसके तहत गांधी के रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम को लिया जा सकता है।

इन सभी स्वरों के सम्मिलित संघर्ष एवं अभूतपूर्व बलिदान का ही परिणाम था कि भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता की रोशनी से सराबोर हुआ।

प्र. 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तर: भारत से व्यापार में अधिशेष की प्राप्ति एवं इससे अन्य राष्ट्रों से होने वाले व्यापार घाटे की भरपाई ब्रिटिश साम्राज्य की भारत पर निर्भरता को निर्धारित करती थी, परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत इस स्थिति के पलट जाने के कारण सत्ता हस्तांतरण को ब्रिटिश विवश हुए।

सत्ता हस्तांतरण के अन्य कारण

- कांग्रेस द्वारा चलाये गए आन्दोलन के कारण प्रशासन संचालन का अवरुद्ध हो जाना।
- युद्ध पश्चात वित्तीय व राजनीतिक दबाव।
- ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन।
- वैश्विक दबाव आदि।

सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने के कारण

- ब्रिटिशों का ये स्वभाव था, उन्होंने अपने सभी उपनिवेशों के साथ ऐसा किया, ताकि उन पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रख सकें तथा अपने पूर्ववर्ती नियंत्रण को सही ठहरा सकें।
- शीतयुद्ध के कारण गुटबंदी का प्रारंभ होना।
- पाकिस्तान का प्रयोग सोवियत रूस को संतुलित करने की मंशा।
- भारत को एक महाशक्ति बनने से रोकने की मंशा।
- सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने हेतु उठाए गए कदम
- युद्ध समर्थन के नाम मुस्लिम लीग को अवांछित एवं अतार्किक वायदा किया जाना, जिसने विभाजन के लिए समुदाय विशेष के मनोबल को प्रोत्साहित किया।
- कैबिनेट मिशन की अतार्किक प्रस्ताव
  - सत्ता स्वरूप तीन स्तर विभाजित।
  - राज्यों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण एवं विभाजन प्रस्ताव।
- आनन-फानन में स्वतंत्रता प्रदान करना एवं वापस लौटने की तैयारी।
- सीमा विभाजन बिना योजना के किया जाना एवं यह कार्य ऐसे व्यक्ति को दिया जाना, जिसे भारतीय संस्कृति की समझ नहीं थी और न ही 1947 से पूर्व भारत आया था।
- देशी रियासतों को बिना योजना एवं स्पष्ट निर्देश के स्वतंत्रता दिया जाना। इस कारण उनमें स्वतंत्र होने की महत्वाकांक्षा बलवती हुई। वर्तमान कश्मीर समस्या की जड़ इसी में निहित है।
- विभाजन के तुरंत बाद भड़के दंगे को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल नहीं किया जाना। इससे व्यापक स्तर पर जन हानि के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।
- फिर सांप्रदायिकता को उस शिखर पर स्थापित किया, जिसके दंश से भारत आज भी अछूता नहीं है।

इस प्रकार सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश सामाज्यिक सत्ता की भूमिका को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसने अपने संकीर्ण हित की आड़ में बेहद जटिल बना दिया।

प्र. 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती सौ वर्षों में बार-बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तर: 1857 के विद्रोह अर्थात विप्लव के स्वरूप निर्धारण में आरंभ से ही इतिहासकारों के बीच मतैक्यता का अभाव रहा है। इसी कड़ी में 'एरिक स्टोक्स' ने इसे एक आंदोलन नहीं अपितु आंदोलनों की कड़ी अथवा आंदोलनों की बंडल का परिणाम कहा था।

1857 से पूर्व पिछले 100 वर्षों में अनेक विद्रोह देखने को मिलते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रीय एवं स्थानीय कारकों की उपज थे।

इन सभी विद्रोहों को चार प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न हैं-

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
द्वितीय प्रश्न-पत्र

राजव्यवस्था

वैधानिक व्यवस्था

प्र. "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक व्यापक अधिनियम है, जिसमें प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों को समग्रता से शामिल करते हुए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 8(ए), भ्रष्ट आचरण के लिए सजा के साथ विभिन्न आधारों पर प्रतिनिधियों की अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। हालाँकि अधिनियम के तहत अयोग्यता की प्रक्रिया जटिल है और इसके सरलीकरण की आवश्यकता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रक्रिया

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 98 के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण की शिकायत उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। उच्च न्यायालय तदनुसार परीक्षण करता है और अधिनियम की धारा 99 के तहत एक आदेश पारित करता है।
- इस प्रकार, धारा 99 के तहत एक भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए प्रत्येक व्यक्ति के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को इस प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हां, तो कितने अवधि के लिए।
- अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी स्थिति में अयोग्यता की अवधि उस तिथि से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिस दिन धारा 99 के तहत उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावी होगा।
- अधिनियम व्यक्ति को उक्त अवधि के बचे हुए भाग के लिए इस तरह की अयोग्यता को हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष अपील करने की अनुमति देता है।
- अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया की जटिलता के साथ ही भ्रष्ट प्रथाओं के आधार भी अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी तथ्य के विवरण (जो किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र/आचरण के संबंध में गलत हैं) का प्रकाशन भ्रष्ट प्रथाओं के आरोप को बढ़ावा दे सकता है।

इस प्रक्रिया को निम्नलिखित आधारों पर संशोधित करने की मांग की गई है:

- अनेक अधिकारियों के पास से गुजरने के कारण प्रक्रिया लंबी और तर्कहीन है।
- भ्रष्ट प्रथाओं से संबंधित अधिकांश आधार अस्पष्ट और मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं।
- अयोग्यता की प्रक्रिया का सरलीकरण अनिवार्य रूप से चुनावी सुधारों को प्रोत्साहित करेगा।

उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी प्रक्रिया के विधायी ढांचे की आधारशिला है। चुनावी प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाने के लिए अधिनियम में निरंतर सुधार पर बल दिया जाना चाहिए।

प्र. "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे।" विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था। हाल ही में संसद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिससे सूचना आयोग की स्वतंत्रता सीमित होती है।

सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन, 2019:

- **केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल:** आरटीआई संशोधन विधेयक, 2019 आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में संशोधन करता है। अब आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो आरंभ में अधिनियम में ही दिया गया था (5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो)।
- **धारा 16 में संशोधन:** अधिनियम की धारा-16 राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों से संबंधित है। इनका कार्यकाल पांच साल अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के रूप में निर्धारित किया गया है। नवीन संशोधन के अनुसार इनके कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- **वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें:** धारा 13 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्रमश: मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की भांति होंगी।
- नए संशोधन के अनुसार इन्हें अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- इसी प्रकार, मूल अधिनियम राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को क्रमशः चुनाव आयुक्त तथा राज्य के मुख्य सचिव के समान ही निर्धारित करता है। संशोधन के अनुसार अब उपरोक्त का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

अतः सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों (संशोधन विधेयक, 2019) द्वारा न केवल सूचना आयोग की स्वायत्तता कम होगी बल्कि केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों में भी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा।

प्र. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तरः भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 को छोड़कर (जहां भारतीय गणराज्य को राज्यों के संघ के रूप में उल्लेखित किया गया है) संघवाद की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया गया है। समय के साथ भारतीय संघवाद ने केंद्र-राज्य संबंधों के अंतर्गत सहकारी, प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी आयामों के माध्यम से आकार ग्रहण किया है।

- **सहकारी संघवादः** इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य एक क्षैतिज संबंध साझा करते हुए व्यापक सार्वजनिक हितों के लिए कार्य करते हैं। सहकारी संघवाद के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लिया जा सकता है, जिनके माध्यम से भारत में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- **प्रतिस्पर्धी संघवादः** इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य संबंधों की प्रकृति लंबवत जबकि विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य आपस में संबंध क्षैतिज प्रकृति के होते हैं। भारत में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के विचार का महत्व 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद बढ़ा है। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में राजस्व, उपलब्ध संसाधन तथा तुलनात्मक लाभ की स्थिति विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी की भावना को बढ़ावा देती है। आर्थिक सुधारों के बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद भारत की प्रमुख विशेषता रही है तथा देश में भूमि तथा श्रम सुधारों के माध्यम से विभिन्न राज्यों ने इसमें प्रगति की है।
- **परस्पर विरोधी संघवादः** 21वीं सदी में भारतीय संघवाद में सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी आयामों के साथ संघवाद के अंतर्गत परस्पर विरोधी प्रकृति भी देखने को मिली है। हाल ही के समय में, एनआरसी (NRC) के मुद्दे पर टकराव, सीबीआई (CBI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर तनाव तथा संविधान संशोधनों के माध्यम से केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं। परस्पर विरोधी संघवाद को बढ़ावा देने के पीछे क्षेत्रीय दलों का विकास, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राज्यपाल कार्यालय तथा आर्थिक विकास में असमानता जैसे कारक उत्तरदायी हैं।

भारतीय संघवाद की संरचना एक लंबी प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुई है। प्रतिस्पर्धा तथा टकराव जैसी स्थितियों के बीच आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न राज्यों तथा राज्यों एवं केंद्र सरकार के मध्य त्वरित रूप से उत्पन्न होने वाले तनावों को कम किया जाए। देश के दीर्घकालिक विकास तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

प्र. 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर!' क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तरः संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय संबंधी प्रावधान हैं। वह पीठासीन अधिकारी होने के साथ लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अध्यक्ष को संवैधानिक प्रावधानों तथा लोकसभा में कार्यप्रक्रिया एवं आचरण के नियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हाल ही में, कई आधारों पर स्पीकर के पद में संशोधन करने की मांग की गई है-

- सदन की सामान्य दैनिक कार्यवाही में पक्षपात का आरोप
- धन विधेयक पर निर्णय संबंधी शक्तियों का दुरुपयोग
- दलबदल विरोधी कानून पर निर्णय संबंधी शक्तियों का दुरुपयोग

ऐसी अनेक चुनौतियों के कारण समय-समय पर स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की जाती रही है। किंतु, स्थाई अध्यक्ष के पद के अपने अवगुण हैं-

- **अधिनायकवादी आचरणः** एक स्थायी अध्यक्ष अपने कार्यकाल में सत्तावादी दृष्टिकोण के अनुसार कार्य कर सकता है जो कि लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।
- **लोगों की भावना के विरुद्धः** यू.के. तथा आयरलैंड की प्रक्रिया के अनुसार यदि भारत में अध्यक्ष को निर्विरोध चुना जाता है तो यह लोकतांत्रिक देश में लोगों की भावना के विरुद्ध होगा।
- **अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के मध्य समन्वय का अभावः** सदन को चलाने में अध्यक्ष के साथ-साथ कार्यकारिणी की प्रमुख भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति की सिफारिश पर स्पीकर सदन को स्थगित कर सकता है। स्थाई अध्यक्ष के समय इस प्रकार की सामान्य प्रक्रिया में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं।

भारत में स्थाई अध्यक्ष पद के प्रावधान से वर्तमान कार्यप्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। अतः राजनैतिक विविधता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यक्ष पद से संबंधित चुनौतियों का समाधान प्रक्रियागत तरीकों से किया जाए। इस संदर्भ में, वी.एस. पेज की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण हो सकती हैं जिनके अनुसार, यदि अध्यक्ष अपने कार्यकाल में निष्पक्ष तथा कुशल तरीके से कार्य करता है तो उसे अगले संसद में जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्र. राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तरः भारतीय संघवाद अर्द्ध-संघीय प्रकृति का है। इसका अर्थ यह है कि, देश में संघीय विशेषताएं मौजूद हैं, किंतु प्रणाली का मजबूत झुकाव केंद्र की तरफ है। भारतीय संघवाद का स्वरूप संकट की दशा में अपनी संरचना को संघीय से एकात्मक स्वरूप में बदलने की अनुमति देता है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
तृतीय प्रश्न-पत्र

अर्थव्यवस्था

प्र. समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: समावेशी संवृद्धि एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के दौरान समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसके लाभ एवं समान अवसर की बात की जाती है।

वहीं सम्पोषणीय विकास एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसमें आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के बाद भी जो आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो निम्नलिखित है-

आंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के विषय

- समावेशी संवृद्धि को लक्ष्य मानते हुए भी देश के सभी क्षेत्रों तक विकास की समान पहुंच न होना।
- देश में शिक्षा, रोजगार एवं अन्य संसाधनों तक कुछ सीमित लोगों की पहुंच।
- शहरी एवं ग्रामीण सुविधाओं में व्यापक अंतर जिसका असर जीवन की गुणवत्ता पर देखा जा सकता है।
- महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर होना।

अंतर्पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के विषय

- संपोषणीय विकास का प्रण लेने के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों का बेतहासा दोहन विशेषकर विकसित देशों द्वारा।
- असन्तुलित विकास के कारण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे विषय प्रमुख हो गए हैं।
- प्रदूषण एवं उससे जनित महामारी जिसका सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है।
- आर्थिक संसाधनों पर कुछ देशों का बोलबाला।

वर्तमान विश्व को समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास की अवधारणा के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्यता को पूर्ण रूप से स्थापित करके मानव जीवन को समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सके।

प्र. संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन-कौन से कारक हैं, जो भारत को अपने संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को साकार करने से रोकते हैं?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: संभाव्य जी.डी.पी. का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था का स्थिर कीमतों पर उत्पादन के कारकों को पूरी तरह नियोजित करके उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। संभाव्य जी.डी.पी. किसी अर्थव्यवस्था के भविष्य में उत्पादन क्षमता को जानने एवं उस स्तर को बनाए रखने का एक बेहतर पैमाना है।

संभाव्य जी.डी.पी. के निर्धारक

- अर्थव्यवस्था में निवेश एवं पूंजी निर्माण का स्तर।
- व्यापार अनुकूल विधियों का निर्माण एवं उनका कार्यान्वयन।
- भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रयोग का स्तर।
- प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमबल की उपलब्धता का स्तर।
- अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति एवं प्रतिस्पर्धी बाजार की उपलब्धता।

भारत में संभाव्य जी.डी.पी. के साकार होने में बाधाएं

- विधियों का व्यापार अनुकूल न होना एवं अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप।
- भारत की उच्च उत्पादन लागत जो निर्यात को हतोत्साहित करती है।
- भारत की जनसंख्या का कुशल मानव संसाधन में परिवर्तन न होना, जिसका कारण शिक्षा का स्तर एवं कौशल प्रशिक्षण न होना है।
- बुनियादी ढांचे की व्यापक कमी जो निवेशकों को निवेश करने से रोकती है।
- भारत में वित्त की कमी एवं उद्योगों का कुछ क्षेत्रों तथा कुछ सेक्टरों तक ही सीमित होना; जैसे- सेवा क्षेत्र।
- भारत की संरक्षणवादी नीति एवं निम्न प्रति व्यक्ति आय यहां के बाजार को सीमित बनाती है।

भारत में पूंजी, श्रम, तकनीक एवं कम उद्यमशीलता यहां के आर्थिक परिवर्तन को सीमित करती है, जिसके कारण संभाव्य जी.डी.पी. के स्तर को प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न होती है। वैश्विक आर्थिक संकट एवं महामारी जैसे कारक भी इसके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

प्र. एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध (कॉन्सेशन एग्रीमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम किसी अर्थव्यवस्था के मूल एवं सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इसमें पूंजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूंजी ही बाकी घटकों को उत्पादन के लिए उत्प्रेरित करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निवेश ही होता है, फिर चाहे वह निजी निवेश हो या सार्वजनिक निवेश या फिर दोनों क्षेत्र मिलकर निवेश करे।

निवेश न सिर्फ उत्पादन को उत्प्रेरित करता है, बल्कि यह इसे अतिरिक्त पूंजी सृजन को भी सुनिश्चित करता है, अर्थात् निवेश की गई पूंजी ही किसी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम है।

निवेश किसी अर्थव्यवस्था का विकास करने के साथ ही आर्थिक संवृद्धि को भी सुनिश्चित करता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है एवं राष्ट्र की जी.डी.पी. में भी लोगों का योगदान बढ़ता है, साथ ही उद्योगों में वृद्धि एवं मानव संसाधन का कुशल तरीके से दोहन किया जा सकता है।

निवेश न सिर्फ उत्पादन एवं आय बढ़ा कर पूंजी निर्माण की गति को तीव्र करता है, बल्कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से सशक्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सार्वजनिक एवं निजी निवेश मॉडल वर्तमान समय में निवेश का सबसे लोकप्रिय मॉडल है, इसमें किसी परियोजना के निर्माण में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर निवेश किया जाता है एवं दोनों क्षेत्रों द्वारा अपनी सुविधा एवं विशेषज्ञता के अनुसार मिलकर कार्यों का बंटवारा किया जाता है, जिसमें परियोजना का निर्माण एवं संचालन गुणवत्तापूर्ण एवं कुशल तरीके से किया जा सके।

सार्वजनिक एवं निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध के समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए-

- परियोजना पूर्ण होने की अवधि एवं कार्यों के बंटवारे का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
- परियोजना के समय होने वाले जोखिम एवं उनके निवारण में भागीदारी का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
- पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं परियोजना के विलंब होने की दशा में भविष्य की रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए।
- परियोजना पूर्ण होने के बाद उसके देख-रेख एवं किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदार का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
- परियोजना की लागत एवं इसके बढ़ने एवं घटने की स्थिति में जबावदेही का प्रावधान।

किसी भी परियोजना के संबंध में इसके निर्माणकर्त्ता भागीदारों के मध्य एक स्पष्ट रियायत अनुबंध का होना सबसे जरूरी है, जो न सिर्फ परियोजना के निर्माण को कुशलतापूर्वक होने देता है, बल्कि निर्माण के बाद होने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुधारने के लिए जबावदेही सुनिश्चित करता है।

प्र. वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी.एस.टी. कम्पेन्सेशन फंड) को प्रभावित एवं नये तनावों को उत्पन्न किया है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: 2017 में केंद्र सरकार ने संपूर्ण राष्ट्र को एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा संचालित करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समायोजित करती है। इसके तहत केंद्र ने अगले 5 वर्ष अर्थात् 2022 तक राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया था, जो इस शर्त पर था कि यदि राज्यों के अप्रत्यक्ष कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि यदि 14% से कम रहती है, तो क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी, जिसके लिए 2012-13 से 2015-16 तक के तीन वित्तीय वर्षों के राज्यों के अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि के औसत को आधार बनाया गया, हालांकि इस क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए केंद्र ने उपकर लगाकर राशि अर्जित करके एक पृथक कोष में संग्रहित की।

2020 में कोविड-19 महामारी एवं उसके बाद लगाये गए लॉक-डाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में जी.एस.टी. संग्रह में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा यह अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम रहा। जिसके कारण राज्यों ने केंद्र से क्षतिपूर्ति की मांग की, ऐसी स्थिति में जब केंद्र के क्षतिपूर्ति कोष में इतनी राशि नहीं है कि वह राज्यों को पूर्व-निर्धारित दर से क्षतिपूर्ति कर सके, तो नुकसान भरपाई की प्रक्रिया को लेकर केंद्र एवं राज्य के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसका एक कारण राज्यों में राजस्व स्रोतों की कमी, लॉक-डाउन के कारण कर राजस्व की सीमित प्राप्ति एवं महामारी के कारण लोक कल्याण के कार्यों में भारी व्यय का होना था, जिसके कारण राज्य किसी भी स्थिति में क्षति-पूर्ति राशि से समझौता नहीं करने पर अड़े थे।

इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को उधार लेकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने की सलाह दी, जिसका भुगतान 2022 के बाद करने का भरोसा दिया। लेकिन राज्य चाहते थे कि केंद्र उधार लेकर राज्यों को पैसा दे। बाद में यह समझौता हुआ कि केंद्र उधार लेकर राज्यों को पैसा देगा एवं राज्यों को 2022 के बाद मूलधन एवं ब्याज अपने क्षतिपूर्ति के हिस्से से चुकाना होगा, जिसके बाद तनाव कम हुआ एवं राज्य मान गए।

इस स्थिति ने यद्यपि केंद्र एवं राज्य के मध्य तनाव पैदा किया, लेकिन बातचीत एवं आपसी सहयोग से मामले का निपटना भारत के संघवाद की धारणा को और मजबूत करता है एवं केंद्र एवं राज्य संबंधों में राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा करके केंद्र को निरंकुश होने से रोकता है, जो भारतीय लोकतंत्र को भविष्य में और मजबूत करके सहकारी संघवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।

प्र. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किये गये हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। इसमें केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के अनेक कर शामिल किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
चतुर्थ प्रश्न-पत्र

नैतिक और मानवीय व्यवहार

प्र. व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (CNP) के तीन मुख्य घटकों, जैसे- मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति (संस्कृति एवं नीतियां) तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों की भूमिका की विवेचना कीजिए?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: व्यापक राष्ट्रीय शक्ति मुख्य रूप से एक चीनी अवधारणा है, जो पश्चिमी अवधारणा के विपरीत किसी राष्ट्र की समग्र शक्तियों का योग प्रदर्शित करती है। इसके मुख्य घटकों में उस राष्ट्र की आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, शिक्षा की स्थिति, तकनीकी क्षमता, मानव पूंजी का प्रयोग, सामरिक शक्ति, सामाजिक सद्भाव एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व को शामिल किया जाता है।

किसी राष्ट्र की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के तीन मुख्य घटकों-मानव पूंजी, सामाजिक सद्भाव एवं मृदु शक्ति की वृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों की निम्नलिखित भूमिका है-

- मानव पूंजी किसी राष्ट्र के उन लोगों का समूह होता है, जो राष्ट्र के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में अपना योगदान देते हैं, या देने योग्य होते हैं, यह सिर्फ श्रम बल तक सीमित न होकर राष्ट्र को सामाजिक स्थिरता प्रदान करता है।
- मानव पूंजी की वृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यदि राष्ट्र में नैतिकता के मानक उच्च होंगे तो ऐसे समाज में शिक्षा, रोजगार, अनुशासन एवं तकनीकी विकास पर अधिक बल दिया जायेगा। वहीं यदि समाज उच्च मूल्यों का अनुसरण करेगा तो ऐसे समाज में रहने वाले लोग बेहतर ढंग से स्वयं के लिये उचित या अनुचित का निर्णय ले सकेंगे, जिसमें राष्ट्र को निपुण लोगों की प्राप्ति होगी, जो व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में सहायक होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से प्रभावित करके अपने हितों की पूर्ति करता है, तो इसे मृदु शक्ति कहते हैं। किसी राष्ट्र विशेष में उनके सामाजिक नीतिशास्त्र एवं व्यक्तिपरक मूल्यों को संवर्द्धित कर वहां कि संस्कृति एवं प्राचीन परम्परा को परिष्कृत किया जा सकता है, जो राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करेगा; जैसे- भारत के योग एवं अध्यात्मवाद तथा विश्व बन्धुत्व एवं अहिंसा के सिद्धान्तों से विश्व को एक नई दिशा प्रदान करके भारत के महत्व को स्थापित किया जा सकता है।
- किसी बहुलवादी समाज में जब लोगों के मध्य प्रेम, समानुभूति श्रद्धा, करुणा का भाव होता है तो इसे सामाजिक सद्भाव कहते हैं। गांधी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म की एकता एवं परस्पर सामंजस्य के माध्यम से सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। यह सामंजस्य नैतिक मूल्यों की वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जो राष्ट्र की एकता सुरक्षित करके इसकी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करेगा।

अन्ततः व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में राष्ट्र की मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति एवं सामाजिक सद्भाव का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह राष्ट्र को आन्तरिक रूप से आर्थिक सक्षम एवं अखण्ड बनाने के साथ ही वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की छवि को प्रदर्शित करने में सहायता करती है।

प्र. "शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिये एक प्रभावी एवं व्यापक साधन है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण करें। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तर: शिक्षा एक ऐसा उपकरण है, जो न सिर्फ मानवीय क्षमताओं का संवर्द्धन करती है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। इससे मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। यह आर्थिक विकास, न्याय, समानता एवं वैज्ञानिक उन्नति की कुंजी है। शिक्षा न सिर्फ यह बताती है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिये, बल्कि वह मनुष्य के बुद्धि-विवेक एवं ज्ञान का उन्नयन कर उसकी आत्मोन्नति पर विशेष जोर देती है। नई शिक्षा नीति-2020 राष्ट्र में शिक्षा के वातावरण में बदलाव के कई प्रस्ताव करती है, जो निम्नलिखित हैं-

- NEP-2020 व्यापक रूप से बचपन से उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करती है, साथ ही नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट दर कम करने में जोर देती है।
- NEP-2020 छात्रों को उनके कौशल एवं रुचियों को प्रखर बनाने तथा वैश्विक बाजार में उन्हें अधिक वांछनीय बनाने हेतु लचीलापन प्रदान करेगी एवं बच्चों को 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप तैयार करेगी।
- विद्यालयों में सभी स्तर पर नियमित खेलकूद, योग, संगीत, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जायेगी, साथ ही माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- यह वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिये लिंग समावेशी कोष, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना एवं दिव्यांग बच्चों के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर।

लेकिन NEP-2020 के समक्ष कुछ चुनौतियां है, जो निम्नलिखित है-

- शिक्षा का समवर्ती सूची पर होना NEP-2020 के कार्यान्वयन में राज्यों का अपनी सुविधा के अनुसार विरोध हो सकता है।
- शिक्षा पर GDP का बहुत कम भाग खर्च होता है। इसे GDP का 6% तक करने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार न मिलना तथा इस क्रम में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों का पढ़ाई पूरी न कर पाना, सीखने की प्रक्रिया को बाधित करेगी।

अन्ततः कुछ चुनौतियों के बाद भी NEP-2020 में वे सभी विशेषतायें हैं, जो भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करके वैश्विक महाशक्ति बनने में मदद कर सकती है।

प्र. "घृणा व्यक्ति की बुद्धिमता और अन्तःकरण के लिये संहारक है, जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तरः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमता तथा राष्ट्र के चित्त दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जहां घृणा व्यक्ति में गुस्सा, हिंसक मनोवृत्ति को बढ़ावा, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास में कमी आदि को बढ़ावा देती है, वहीं घृणा के कारण राष्ट्र में सांप्रदायिक एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा, धर्मनिरपेक्षता के समक्ष संकट, महिला अपराधों में वृद्धि एवं आतंकवाद का उदय जैसी घटनाएं होती हैं, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है-

- भारत में घटित होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के पीछे एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति फैलाई गई घृणा ही मुख्य कारण है, जिसमें हजारों लोगों की जाने चली जाती हैं।
- जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति फैलाई गई घृणा के कारण ही यहूदियों का नरसंहार किया गया।
- भारत में छुआछूत का एक मुख्य कारण लोगों के प्रति घृणा ही है, जिससे उत्पीड़न बढ़ा है।
- समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का एक मुख्य कारण कुछ लोगों की घृणित मानसिकता ही है, जो देश की सामाजिक व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके राष्ट्र के वैश्विक अपमान का कारण बनती है।

घृणा से हम नैतिक शिक्षा, धार्मिक सद्भाव एवं कानूनों का सही तरीके से पालन कराकर कुछ हद तक निपट सकते है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से समाप्त तभी किया जा सकता है, जब व्यक्ति मन, कर्म एवं वचन तीनों से शुद्ध होकर कार्य करेगा। नहीं तो घृणा समाज एवं देश दोनों की ही एकता एवं अखण्डता के लिये बड़ा खतरा है।

प्र. संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है? क्या इन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2020)

उत्तरः संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कर निर्वाचन व कार्य करने से है। डेनियल गोलमैन ने इसके निम्नलिखित घटक बताये हैं-

- **स्व-जागरूकताः** अपने संवेगों की सही जानकारी रखना।
- **आत्मनियमनः** अपने भावनाओं का समुचित प्रबन्धन।
- **स्वप्रेरणाः** स्वयं को आशावादी तरीके से प्रेरित करना।
- **समानुभूतिः** दूसरे की भावनाओं को सही तरीके से पहचानना।
- **सामाजिक जागरूकताः** दूसरे के संवेगों का संचालन अर्थात् अंतर्वैयक्तिक दक्षता।

संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया-

- संवेगात्मक बुद्धि को सीखा जा सकता है। ये जन्मजात नहीं होते। इन्हें शिक्षा, बुद्धि कौशल तथा योग एवं ध्यान के माध्यम से सीखा जा सकता है। जैसे- बुद्ध बचपन से संवेगात्मक बुद्धि के नहीं थे, समाज को देखकर तथा अनुभव के माध्यम से उनमें ये गुण विकसित हुये।
- प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण द्वारा इसे सिखाया जा सकता है, जिसमें प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं का प्रबन्ध करते हुये विकट परिस्थितियों का सरलतापूर्वक सामना किया जा सके।
- अलग-अलग व्यक्तियों में सोच, परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का स्तर अलग-अलग पाया जाता है।
- महात्मा गांधी की भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व समानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा को व्यावहारिक रूप देकर अर्जित किया था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में नेतृत्व, प्रबन्धन जैसे गुणों का समुचित विकास होता है, जिसका उपयोग राष्ट्रहित में किया जा सकता है।

प्र. सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये? (150 शब्द) (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2019)

उत्तरः सार्वजनिक जीवन के ऐसे गुण और लक्षण होते हैं जिन्हें प्रत्येक जन प्रतिनिधि या अधिकारी को स्वयं के अंदर विकसित करना चाहिए। इन गुणों को विकसित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है, जिन्हें सार्वजनिक जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनमें से तीन प्रमुख इस प्रकार हैं-

निःस्वार्थताः सार्वजनिक जीवन से जुड़े सिद्धांतों में सबसे प्रमुख है। समाज और प्रशासन सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के दृष्टिकोण के निस्वार्थ होने की उम्मीद करता है और उसके कृत्य और निर्णय हमेशा समाज एवं नागरिकों के कल्याण हेतु होने चाहिए। जैसे कि एक स्थानीय शासन प्रतिनिधि का निःस्वार्थ रूप से यह कर्त्तव्य होता है कि उसे किसी भी अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचना को हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि उस संरचना से लोगों को असुविधा होती हो और वह उस संरचना को हटाने में संकोच करता है, क्योंकि उसे वोट हासिल करना है तो यह कार्य उस प्रतिनिधि को एक स्वार्थी व्यक्तित्व बना देगा।

ईमानदारीः एक जनप्रतिनिधि के लिए सार्वजनिक जीवन का एक और प्रमुख सिद्धांत है। एक जन प्रतिनिधि या लोक सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों में ईमानदारी के साथ निर्णय ले। उसके पास नैतिकता होनी चाहिए ताकि विसंगतियों के प्रति कोई समझौता किए बिना वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। जैसे कि अगर एक सार्वजनिक प्रतिनिधि या एक अधिकारी के पास कोई बिल्डर किसी निर्माण में गलतियों कि बावजूद उस कार्य के लिए बजट अनुमोदन के लिए आता है और उस अधिकारी को एक बड़ी राशि देने का वादा करता है तो उस अधिकारी या प्रतिनिधि का यह कर्त्तव्य है कि वह ईमानदारी का पालन करे और उसके प्रस्तावों को ठुकरा दे।